

23 FEB 2022

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक: प.2(6)खान/गुप-1/2020

जयपुर, दिनांक: 23 FEB 2022

आदेश


राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित भूवैज्ञानिक को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठ भूवैज्ञानिक के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	चयनित वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	श्री मनीष शर्मा	सामान्य	2020-21	01.04.2020
2.	श्री चन्द्रप्रकाश दाधिच	सामान्य	2020-21	01.04.2020
3.	श्रीमती शैलबाला राठौड़	सामान्य	2020-21	01.04.2020
4.	श्री रवि कुमार मीणा (अजजा)	अजजा	2020-21	01.04.2020
5.	श्री हितेश कुमार	सामान्य	2020-21	01.04.2020
6.	श्री राजेन्द्र कुमार कुमावत	सामान्य	2020-21	01.04.2020
7.	श्री महेश कुमार शर्मा	सामान्य	2020-21	01.04.2020
8.	श्री अमित कुमार	सामान्य	2020-21	01.04.2020
9.	श्री अभिताभ जगावत	सामान्य	2020-21	01.04.2020
10.	श्री राजकुमार मीणा (अजजा)	अजजा	2020-21	01.04.2020
11.	श्री रोहित कुमार मल्लाह	सामान्य	2020-21	01.04.2020
12.	श्री मोहनलाल कुमावत	सामान्य	2020-21	01.04.2020
13.	श्री अमित कुमार डाबी (अ.जा.)	अ.जा.	2020-21	01.04.2020
14.	श्री प्रवीण कुमार बड़गुर्जर (अ.जा.)	अ.जा.	2020-21	01.08.2020

सभी पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार कमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने से तिथि से देय होगा।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद (यदि कोई हो) के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

आज्ञा से


(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव